

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**01-09-2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आँचलिक कार्यालय ने 21.08.2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुर्दा सह विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर के समक्ष खगेश्वर पांडा, सुभाश्री पाड़ी और श्रीमती कुंतला पांडा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 28.08.2024 को इसका संज्ञान लिया।

ईडी ने खगेश्वर पांडा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 1.20 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में सतर्कता पी.एस., कालाहांडी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जब वे पूर्व विपणन निरीक्षक थे तब ओडिशा के कालाहांडी के धर्मगढ़ उप-मंडल में नागरिक आपूर्ति अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

ईडी की जांच से पता चला है कि खगेश्वर पांडा एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का अनुचित लाभ उठाते हुए अपराध की बड़ी आय अर्जित की और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक विभिन्न चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं, जो कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित ऐसी अनुपातहीन संपत्तियों के अधिग्रहण, कब्जे, लेयरिंग और एकीकरण में खगेश्वर पांडा की सहायता करने में शामिल पाए गए।

इससे पहले, ईडी ने ओडिशा के बलांगीर जिले में स्थित प्लॉट, बिल्डिंग, एफडी/उपलब्ध बैंक बैलेंस, एलआईसी पॉलिसियों आदि के रूप में 72 लाख रुपये की संपत्ति (चल और अचल दोनों) कुर्क की थी।

आगे की जांच हो रही है।